

(42)

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

जयपुर, 25.06.2012

जयपुर दिनांक 25.06.2012

आदेश

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आबंटन) नियम, 2012 के नियम 11 के उप नियम (2) तथा नियम 19 के उप नियम (2) के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार निर्देश जारी करती है कि निम्नांकित तालिका में वर्णित स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा उनके सम्मुख दर्शाये गयी सीमा से अधिक क्षेत्रफल के लिए पट्टा विलेख राज्य सरकार की स्वीकृति के पश्चात जारी किये जायेंगे :-

तालिका

स्थानीय प्राधिकारी	आवासीय	गैर आवासीय
जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र	10,000 व.मी.	4,000 व.मी.
अन्य समस्त स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा	5,000 व.मी.	2,500 व.मी.

राज्यपाल की आज्ञा से,

(गुरदयाल सिंह संधु)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. आयुक्त, जयपुर / जोधपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर।
5. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।
7. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान सरकार, जयपुर।
8. निदेशक, स्थानीय निकाय, राजस्थान, जयपुर।
9. समस्त सचिव, नगर सुधार न्यास, राजस्थान।
10. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त/कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम/नगर परिषद/नगरपालिका मण्डल, राजस्थान।
11. रक्षित पत्रावली।

(सुनील कुमार)
उप शासन सचिव-द्वितीय

(92)